

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 172/संचा.-वि.स./2025

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रति,

1 रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग,
अटल नगर, नवा रायपुर

2 समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषय :-विधानसभा प्रश्न क्रमांक 803 तारांकित द्वारा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 803 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के प्रश्नांश "क" व "ख" का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) आज ही ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित दिनांक 03.07.2025 तक अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)।
संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 173 /संचा.-वि.स./2025

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपि :-

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 11/07/2025

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/07/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघन के लंबित प्रकरण

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 803) श्रीराघवेन्द्र कुमार सिंह

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ख) प्रदेश में गठित राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों के कितने पद रिक्त हैं ?

Sent From : vidhan | Sent Date : 01/07/2025 11:26:01 |

Remark :

राज्य सरकार
उपभोक्ता आयोग
समस्त को